दिल्ली विधान सभा सिववालय

समाचार भाग -2

१ विधायो तथा अन्य मामलो से संबंधित सामान्य जानकारो १ बृहस्पतिवार, ०४ जनवरी, २००।∕ पौष ।४, ।९२२ १ शक्श

संख्या : 121

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को बाना सदर बजार दिल्ली का निम्न लिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

" मुंहे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री हरशरण सिहं बल्ली और श्री अविनाश साहनी को दिनाक 04·01·2001 को पूर्वोइन 11·45 बजे, दिल्ली मुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधिसम्मद निर्देशों की अवज्ञानस्ने के कारण नज़रबन्द किया गया ।

उन्हें वहीं से उसी दिन अर्थांत दिनांक 04.01.2001 को अपराइन 3.45 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> एस • के • शर्मा सिच्व

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative & other matters)
Thursday 04 January, 2001/Poush 14, 1922 (Saka)
No. 121

Detention and Release of Members

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S., Sadar Bazar, Delhi:-

"I have the honour to inform you that Sh. Harsharan Singh Balli and Sh. Avinash Sahani, MLAs were detailed u/w 65 of of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at 1145 Hrs. on 4.1.2001.

They were released at 1545 Hrs. from the same place on the same day i.e. 4.1.2001."

S.K. SHARMA SECRETARY